न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
03 / 21	05.01.2021	04.01.2022

उनवान

1. बब्बूराम पुत्र पूरणमल जाति बाल्मिक निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थितिः–

1. श्री लालाराम यादव वकील वादी की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

–ःनिर्णयः–

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम मांचा तहसील किशनगढबास के आराजी खसरा नम्बर 722 रकबा 0.15 हे. जिसका साबिक आराजी खसरा नम्बर 529 मिन रकबा 0–12 बिस्वा से कायम किया गया है विवादित आराजी पूर्व मे भौपत , हरफूल, बोना , सोहन, हबडा कौम चमारान की समभाग सम्वत 2003 की पटटेदारी कब्जा काश्त की आराजी रही है जिनके नाम का अंकन पुरानी जमाबन्दी सम्वत 2013, 2017 मे अंकित किया हुआ है विवादित आराजी 722 रकबा 0.15 हे. सहित दीगर खसरा नम्बरान कुल किता 12 कुल रकबा 1.84 हे. मे से 1 / 11 भाग के मृतक बोना के वारिसान धर्मवीर उर्फ धर्मी , पूरणचन्द , रामकिशन उर्फ मोटा , सूरज पुत्रान बोना तथा सुखदेई पुत्री बोना काबिज काश्तकार पटटेदार गैर खातेदार रहे है जिन्होने आपसी सहमति पत्र से गैर खातेदारी की आराजी को तकसीम किया हुआ था आपसी सहमति पत्र के तहत खसरा नम्बर 722 रकबा 0.15 हे. को सदैव से काश्त करते चले आ रहे है जिन्होने अपना सालिम हिस्सा खसरा नम्बर 722 रकबा 0.15 हे. का बेचान सुखराम पुत्र महतू जाति चमार निवासी दयालपुर तहसील किशनगढबास को बाकब्जा काश्त की आराजी 17.10.2020 को मुबलिग 450,000रू.. मे कब्जे करते हुए कब्जा आराजी पर करा दिया । ऐसी सूरत मे वादी उपरोक्त गैर खातेदारी को कलमजन

कराकर अपने नाम का अंकन बतौर खरीदार खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है ईकरारनामा 17.10.2020 एवं 01.07.2011 सलग्न वाद है।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:—

1. यह है कि डिक्री इश्तकराहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादी आराजी खसरा नम्बर 722 रकबा 0.15 हे. जिसका कि साबिक खसरा नम्बर 529 मिन रकबा 0–12 बिस्वा सालिम पर बतौर खरीदार वादी काबिज वो दखिल है एवं इकरारनामा 17.10.2020 व 01.07.2011 गैर खातेदारान ने बहक सुखराम पुत्र महतू चमार साकिन दयालपुर व वादी के हहक मे विधिवत तहरीर करते हुए चुकता रकम प्राप्त की हुई है वादी मुतनाजा आराजी पर पिछले 10–11 सालो से काबिज है एवं बरोज खरीद से वादी बोनाफाईड परचेजर के काबिज व दखिल है इसलिए वादी आराजी मुतनाजा पर अपना कब्जा सिद्व कराकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 एवं संशोधित नोटिफिकेशन 30.3.2012 के अनुसार हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमाकोष कराकर सनद खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा इस प्रकार की घोषणा कराने का अधिकारी है ।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्म्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

हमने वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी को डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की ।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2075–78 मे राजस्व रिकार्ड के पूर्व गैर खातेदार बोना के वारिसान दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिनके द्वारा आराजी खसरा किता 12 रकबा 1.84 हे. मे से 1/11 भाग का बेचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 1.07.2011 को सुखराम पुत्र महतू चमार साकिन दयालपुर तहसील किशनगढबास को किया है तथा इसी इकरारनामा के आधार पर सुखराम पुत्र महतू द्वारा आराजी उक्त के 1/11 भाग का बेचान बब्बूराम पुत्र पूरणमल जाति बाल्मिकी निवासी बोलनी तहसील किशनगढबास को बेचान किया है जिस इकरारनामा मे विक्रेता द्वारा आराजी खसरा नम्बर 722 रकबा 0.15 हे. वाके ग्राम मांचा मे होना वर्णित किया है। चूकी जर्ये इकरारनामा के किता खसरा 12 रकबा 1.84 हे. मे से 1/11 भाग का ही बेचान किया गया । ना किसी विशेष खसरा नम्बर 722 रकबा 0.15 हे. का, इसलिए प्रकरण मे किता खसरा 12 रकबा 1.84 हे. मे से 1/11 भाग मे से 0.15 हे. के अवैध हस्तानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैमौके पर 0.1 5 हे. पर कब्जा पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट मे वर्णित किया है प्रकरण मे आराजी उक्त की नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर हकूक खातेदारी प्रदत्त किया जाना उचित समझते है वाद वादी काबिले डिक्री करार पाता है ।

अतः आदेश है:–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादी का आराजी खसरा नम्बर 722/0.15, 706/0.05 , 709/0.13, 710/0.19, 711/0.14, 723/0.19, 725/0.08, 726/0.05, 727/0.01, 728/0.40, 737/0.30, 794/0.15 हे. किता 12 रकबा 1.84 हे. मे से 1/11 भाग मे से 0.15 हे. वाके ग्राम मांचा तहसील किशनगढबास का काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है यदि वादी आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा राजकोष कराने पर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैरखातेदार के नाम के अकंन को हजफ कर मुताबिक सनद खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
03/21	05.01.2021	04.01.2022

पर्चा डिकी

उनवान

1. बब्बूराम पुत्र पूरणमल जाति बाल्मिक निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थितिः–

1. श्री लालाराम यादव वकील वादी की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादी का आराजी खसरा नम्बर 722/0.15, 706/0.05 , 709/0.13, 710/0.19, 711/0.14, 723/0.19, 725/0.08, 726/0.05, 727/0.01, 728/0.40, 737/0.30, 794/0.15 हे. किता 12 रकबा 1.84 हे. मे से 1/11 भाग मे से 0.15 हे. वाके ग्राम मांचा तहसील किशनगढबास का काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है यदि वादी आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा राजकोष कराने पर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैरखातेदार के नाम के अकंन को हजफ कर मुताबिक सनद खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर

देखिये नियम 15(3))

सनद का प्रारूप

[illegible] राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू. आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तो एवं राजस्थान [illegible]न्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2009 के [illegible]धित परिपत्र दिनांक 30.3.2012) के अधीन / नियमन ... भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1 आवंटन एवं नियमन का दिनांक एवं स्थान	जरिये वाद बब्बूराम बनाम सरकार निर्णय दिनांक 04.01.2022
2 खातेदार का नाम व पूर्ण पता	बब्बूराम पुत्र पूरण मल जाति बाल्मिक निवासी बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3 तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4 राजस्व ग्राम जहा भूमि स्थित है।	ग्राम मांचा तहसील किशनगढबास जिला अलवर
5 भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म ... की गई	आराजी खसरा नम्बर 722 / 0.15, 706 / 0.05 , 709 / 0.13, 710 / 0.19, 711 / 0.14, 723 / 0.19, 725 / 0.08, 726 / 0.05, 727 / 0.01, 728 / 0.40, 737 / 0.30, 794 / 0.15 हे. किता 12 रकबा 1.84 हे. मे से 1 / 11 भाग मे से 0.15 हे. वाके ग्राम मांचा तहसील किशनगढबास किस्म खातानुसार
6. लगान दर	खातानुसार
7. भूमि किमत का ब्योरा मय ब्याज जो जमा की गई । मय राशि जमा होने का चालन नम्बर व दिनांक	जी.आर.एन. 57377579 से राशि 1200 रू.(एक हजार दो सौ रूपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 57377778 से राशि 600 रू.(छः सौ रूपये मात्र) मद सख्या 0049

नोटः– यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरा के गैर खातेदारान धर्मवीर , पूरणचन्द, रामकिशन, सूरजसिह, पि बोना , सुखदेई पुत्री बोना के 1 / 11 हिस्से मे 0.15 हे. हिस्से की जद तक के अंकन पर जारी की गई। शेष हिस्सा गैर खातेदारान का गैर खातेदारी बदस्तूर रहेगा।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

क्रमांक / सम / 2021 / 1489-92

दिनांक :– 10/01/22

प्रतिलिपिः–

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीगण का सनद अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
2. पटवारी हल्का को पालनार्थ।
3. प्रार्थी बब्बूराम पुत्र पूरणमल जाति बाल्मिक निवासी बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज
4. रक्षित पत्रावली

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Received
3 copy [illegible]